(m) Vigilance functions to prevent misuse of steel obtained from regulared sources.

The functions assigned to DCI&S are reviewed by the Ministry of Steel from time to time in view of the changing role of this office in the liberalised scenario. The office of DCI&S is an attached office of the Ministry of Steel and there is no proposal at present to give it greater autonomy.

### बीड़ी उद्योग के लिए नीतियां

2456. **श्रीमती आनन्दी जे० पटेल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीड़ी उद्योग और इसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्या नीतियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार बीड़ी का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय बीड़ी उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन):** (क) बीड़ी विनिर्माण एक औद्योगिक कार्यकलाप है और इसे लघु उद्योग विकास संगठन की पंजीकृत योजना के तहत लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार की सभी पंजीकृत लघु उद्योग बीड़ी की इकाइयां उन सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार प्रोत्साहनों, रियायतों तथा सुविधाओं के लिए पात्र हैं जो अन्य लघु उद्योग एककों के लिए उपलब्ध है।

श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि बीड़ी तथा सिगार प्रतिष्ठान में लगे कर्मचारियों के कल्याण के लिए तथा उनके कार्य की शर्तों को विनियमित करने और उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाये गये हैं:—

(1) बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1996

(2) बीड़ी कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

(3) बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1976

बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य दो अधिनियमों को केन्द्रीयकृत रूप से प्रबन्धित किया जा रहा है। बीड़ी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सी कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसी योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है **(नीचे देखिए)।**

**(ख) से (घ) वाणिज्य मंत्रालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने सूचित किया है कि बीड़ी के आयात पर प्रतिबंध है तथा बीड़ी के आयात के लिए आयात लाइसेंस अनिवार्य है।**

## विवरण

### बीड़ी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सूची

| क्रम संख्या | योजना का नाम |
|---|---|
| 1. | स्थिर सह चल/स्थिर एलोपैथी तथा स्थिर आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी। |
| 2. | टी०बी० अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण हेतु योजना। |
| 3. | टी०बी० से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों के लिए घरेलू इलाज योजना। |
| 4. | कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों के इलाज हेतु योजना। |
| 5. | मानसिक बीमारियों से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों के इलाज हेतु योजना। |
| 6. | कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मचारियों (घर खाता कर्मचारियों सहित) के इलाज के लिए योजना। |
| 7. | चश्मे की खरीद के लिए बीड़ी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
| 8. | महिला बीड़ी कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ योजना। |
| 9. | बीड़ी कर्मचारियों के बन्ध्यीकरण के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु योजना। |
| 10. | हृदय से संबंधित बीमारियों के संबंध में बीड़ी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति। |

11. गुर्दा प्रतिरोपण से संबंधित बीड़ी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा

1. सामूहिक बीमा योजना।

आवास

1. अपना खुद का मकान बनाने की योजना।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीड़ी कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना।
3. बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को वर्कशेड़ तथा गोदाम बनाने के लिए राजसहायता प्रदान करना।
4. सामूहिक आवासीय योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मचारियों (घर खाता बीड़ी कर्मचारियों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. बीड़ी कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए वर्दी, नोट बुक तथा पाठ्य पुस्तक का एक सेट देने हेतु मिश्रित योजना।
3. हाई स्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन की अदायगी।
4. स्कूल में उपस्थिति के आधार पर बीड़ी कर्मचारियों के मादा बच्चों को एक रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

मनोरंजन

1. श्रव्य दृश्य सेट/सिनेमा गाड़ी/फिल्मों की प्रदर्शनी की स्थापना करना।
2. बीड़ी कर्मचारियों के लिए खेलों, क्रीड़ा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना।
3. बीड़ी कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह योजना।
4. बीड़ी कर्मचारियों की औद्योगिक सहकारी समितियों को टी०वी० सेट देना।
5. बीड़ी कर्मचारियों की आवासीय कालोनी में रंगीन टी० वी० सेट सहित सम्प्रदाय भवन की स्थापना करना।

**Measures for promotion of industries in backward areas of Andhra Pradesh**

2457. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the present industrial policy to promote industries in backward areas of the country like Anantapur and Telangana areas in Andhra Pradesh; and

(b) the special incentives offered to attract entrepreneurs in backward areas?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) With the introduction of new Industrial Policy in July, 1991, main responsibility for Industrial Development rests with the State Governments. The Central Government supports and supplements their efforts. The Ministry of Industry is implementing the Centrally sponsored Schemes for accelerated industrial development of backward areas. These Schemes also cover the State of Andhra Pradesh. The Growth Centre Scheme introduced in June, 1988 provides for setting up of industrial Growth Centres with basic infrastructure facilities like power, telecommunications, banking etc. at a project cost of Rs. 25—30 crores with a Central Government contribution of upto Rs. 10 crores. Under this Scheme Andhra Pradesh has been allotted four Growth Centres which have been approved at Hindupur (Distt. Anantapur); Khammam (Vemsoor Mandal); Vizianagaram-Bobbili (Dist. Vizianagaram); and Ongole (Distt. Prakasam). A total amount of Rs. 8.50 crores has also been released as Central assistance.

Under the Integrated Infrastructure Development (IID) Scheme introduced in 1994, so far one IID Centre has been sanctioned at Village Nandial Mandal in District Kurnool, Andhra Pradesh. The IID scheme is being implemented primarily for the development of small scale industries in rural and backward areas. The State Governments operate various schemes which provide fiscal